



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2828]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2016/अग्रहायण 10, 1938

No. 2828]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2016/AGRAHAYANA 10, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3607(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, आय का ब्यौरा इस प्रकार है—

- (i) प्रमाणीकरण शुल्क;
 - (ii) मानकों का विक्रय, बशर्ते कोई लाभ शामिल न हो; और
 - (iii) ब्याज से होने वाली आय।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए लागू होगी।
 3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी:-
 - (क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आय की विवरणी दायर करे।

[अधिसूचना सं. 111 /2016/ फा. सं.196/23/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक